लघु जल संसाधन विभाग

क्र0 सं0	योजना /कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाओं के तहत दिए जाने वाले लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	भूजल सिंचाई योजना	**(क) राजकीय नलकूप का जीर्णोद्धार–** राजकीय नलकूपों के प्रबंधन, रख–रखाव एवं संचालन का दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अतः सभी राजकीय नलकूप पंचायत को Hand Over किया गया है। जो योजनायें चालू हैं उन्हें पंचायत संचालित करेगी तथा जो योजनाएं बंद हैं उनकी मरम्मति पंचायत द्वारा कराकर संचालित करना है। पंचायत स्वयं, किसी भी संवेदक अथवा विभाग द्वारा बनाये गए संवेदकों के पैनल में से किसी भी संवेदक को ये कार्य दे सकती है । वर्तमान में 4634 राजकीय नलकूप क्रियाशील है तथा वर्ष 2021–22 से 2022–23 में 2249 बंद नलकूपों की मरम्मति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। ग्राम पंचायतों को करीब राशि 2500.00 लाख रूपये का आवंटन दिया गया है, जिसके विरूद्ध राशि 1899.00 लाख रूपये का व्यय किया गया है। इसके पूर्व 3174 नलकूपों पर मरम्मति हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके विरूद्ध 2616 नलकूपों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त है। **(ख) मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना–** इस योजनान्तर्गत जिन खेतों में सिंचाई की सुविधा का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है वहाँ अनुमानित 90,000 नलकूपों को 50 से 80 प्रतिशत की अनुदान के आधार पर कम एवं मध्यम गहराई के (70 मीटर तक के) 4′ से 6′ व्यास के नलकूप एवं मोटर पम्प हेतु अनुदान की योजना प्रस्तावित है। योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों को विभाग के पोर्टल पर आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑन–लाईन आवेदन–पत्र समर्पित करना होगा, जिसमें आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता तथा IFSC Code	आम जनता पटवन की सुविधा के लिए राजकीय नलकूप के जीर्णोद्धार हेतु आवेदन कर सकते हैं। पटवन की दर का निर्धारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है। पटवन दर की वसूली पंचायत द्वारा किया जाना है। प्राप्त पटवन की राशि, Tube Well के लिए खोले गए Bank खातों में रखी जानी है। बिजली बिल का भुगतान तथा Pump ऑपरेटर के परिश्रमिक का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है। इस योजनान्तर्गत वैसे लघु/सीमांत कृषक जिनके पास अपने नाम से 0.40 एकड़ कृषि भू–खंड है तथा जिन्हें पूर्व में बोरिंग/मोटर पम्प हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है वैसे कृषकों को अधिकतम 70 मीटर गहराई तक नलकूप बोरिंग एवं मोटर पम्प के लिए अनुदान दिया जायेगा। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग	कार्यपालक अभियंता (संबंधित लघु सिंचाई प्रमण्डल)

		देना आवश्यक होगा। प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्थानीय स्तर पर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा जाँच की जायेगी। इस कार्यान्वयन में GPS Enabled Android Based Device का उपयोग कर Latitude and Longitude सहित फोटोग्राफ लिये जायेंगे, जिसे विभागीय Portal पर अपलोड किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता आवेदन–पत्र एवं स्थल जाँच कराने के पश्चात् आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत करेंगे। नलकूप का बोरिंग स्वयं कृषकों द्वारा अपने चयनित स्थल पर एवं भारतीय मानक ब्यूरों की विशिष्टियों के निर्माण सामग्री क्रय कर स्वंय किया जायेगा। अनुदान की प्रथम किस्त की राशि बोरिंग पश्चात् जलश्राव प्राप्त होने पर एवं द्वितीय किस्त की राशि डीजल/विद्युत मोटर पम्प के क्रय कर (GST नम्बर सहित रशीद) उपलब्ध कराने पर किया जायेगा। अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा। **<u>(ग) बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना–</u>** बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। लगातार सूखे की मार झेल रहे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को अपना निजी नलकूप लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 70 मीटर की गहराई के लिए 328 रूपये प्रति मीटर की दर से 15 हजार रूपये, 100 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 597 रूपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35 हजार रूपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। **(नोट–वर्त्तमान में उक्त योजना बंद है। योजना का लाभ लेने हेतु मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन दायर कर प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।**)	के लाभुकों को 50 प्रतिशत लक पिछड़ों/अति पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को क्रमशः 70 एवं 80 प्रतिशत अनुदान प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत कुल अनुदान करीब 630 करोड़ रू० अनुमानित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को अपना निजी नलकूप लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 70 मीटर की गहराई के लिए 328 रूपये प्रति मीटर की दर से 15 हजार रूपये, 100 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 597 रूपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35 हजार रूपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।	

2.	सतही सिंचाई योजना	**आहर–पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य, वीयर योजना का निर्माण एवं जीर्णोद्धार एवं उद्ववह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार–**"जल–जीवन हरियाली अभियान" के अंतर्गत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निम्न कार्य कराया जा रहा है:– (1) अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा एक एकड़ रकवा से बड़े आहर–पईन का जीर्णोद्धार कार्य। (2) पांच एकड़ रकवा से बड़े पोखरों / तालाबों को चिह्नित कर जीर्णोद्धार कार्य कराना। (3) 2000 हे0 तक कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वीयर/चेक डैम (15 मीटर से ज्यादा लम्बाई) का निर्माण कार्य। (4) उद्ववह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य। (5) निजी नलकूप एवं डगवेल सिंचाई योजना कार्य के क्रियान्वयन। (6) राज्य के पठारी क्षेत्रों (वन भूमि छोड़कर) में बड़े–बड़े जल निकाय निर्माण यथा पहाड़ों की तलहटी में (वन भूमि छोड़कर) चारों तरफ गारलैण्ड ट्रैच का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य।	कृषक एवं आमजन अपने गांव या खेतों में पटवन की सुविधा लेने हेतु आवेदन दायर कर सकते हैं।	कार्यपालक अभियंता (संबंधित लघु सिंचाई प्रमण्डल)
3.	भवन निर्माण योजना (कार्यालय भवन का निर्माण कार्य) के कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	उक्त योजना के तहत राजकीय नलकूप के संचालन हेतु पूर्व से निर्मित भवन एवं केबिन का जीर्णोद्धार अथवा नये भवन के निर्माण हेतु विभागीय स्तर से कार्य कराया जाता है।	उक्त योजना का लाभ लेने हेतु राजकीय नलकूप का संचालन कर रहे पम्प चालक अथवा संबंधित ग्रामीण जनता आवेदन दायर कर सकते हैं।	कार्यपालक अभियंता (संबंधित लघु सिंचाई प्रमण्डल)
4.	आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं के विपत्रों के भुगतान में विलंब/अनियमितता के मामले–	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं के द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत विपत्र के भुगतान में विलंब एवं अनियमितता के संबंध में परिवाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।	विपत्र के भुगतान हेतु संवेदक आवेदन कर सकते हैं। साथ हीं कराये गये कार्य में अनियमितता से संबंधित मामले में आम ग्रामीण जनता आवेदन दायर कर सकते हैं।	विभागीय मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)/ कार्यपालक अभियंता (संबंधित लघु सिंचाई प्रमण्डल)